# समाहरणालय,बक्सर

## (जिला नजारत शाखा)

## भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सरकार के संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3687 दिनांक 26-04-2010 एवं पत्रांक 7644 दिनांक 05.08.2010 के द्वारा संसूचित निदेश के आलोक में वाहन भाड़े पर लेने हेतु इच्छुक वाहन मालिकों / फर्म से मुहरबंद अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

1- भाड़े पर वाहन 12 महीने के लिये लिया जायेगा, जिसका व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।

2- वाहन का प्रकार टाटा सूमो (विक्टा गोल्ड) / बोलेरो (SLX) / स्कार्पियो / टाटा सफारी / जाईलो / इनोवा एवं अन्य समकक्ष स्तर के वाहन AC / Non AC

3- भाड़े पर लिये जाने वाले वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके मरम्मति आदि पर होने वाला व्यय वाहन मालिक / फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।

4- वाहन का कागजात, टैक्स/बीमा आदि मोटर यान अधिनियम के अनुसार अद्यतन होना चाहिए। संबंधित कर एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी।

5- निविदादाता द्विलिफाफा प्रणाली के तहत तकनीकी एवं वित्तिय निविदा अलग–अलग लिफाफे में सील बन्द कर प्रस्तुत करेंगे। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा को एक ही लिफाफे में नहीं रखा जायेगा।

6- तकनीकी निविदा में निम्न कागजात रहेंगे

(क) वाहन का निबंधन प्रमाण–पत्र। यदि फर्म है तो फर्म का भी निबंधन प्रमाण–पत्र।

(ख) सेवा कर प्रमाण–पत्र।

(ग) काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित नोटरी से शपथ पत्र।

(घ) पैन कार्ड एवं अद्यतन आयकर रिटर्न।

(ड.) 10000-00 (दस हजार) रुपये का डिमान्ड ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, बक्सर के नाम से निर्गत किया हुआ।

(च) सरकारी कार्यालय में वाहन आपूर्त्ति किये जाने संबंधी अनुभव प्रमाण–पत्र। इन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। नए वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी।

(छ) वाहन दुर्घटनाग्रस्त नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र।

(ज) मोटर यान निरीक्षक द्वारा निर्गत फिटनेस प्रमाण–पत्र।

(झ) वाहन का टैक्स एवं बीमा अद्यतन प्रमाण–पत्र।

7- वित्तीय निविदा में भाड़े पर पर दिये जाने वाले AC / Non AC वाहन का मासिक/प्रतिदिन ईंधन रहित एवं ईंधन सहित का दर अलग–अलग स्पष्ट रूप से ही (निम्न कॉलम के अनुसार) स्वीकार किये जायेंगे, जिसमें चालक का भी पारिश्रमिक सम्मिलित है।

| वाहन मालिक का नाम एवं पता | वाहन का नाम | वाहन का प्रकार | कंपनी / ब्रांड का नाम | वाहन का मॉडल | वाहन के क्रय करने की तिथि एवं निबंधन संख्या | दैनिक भाडा | | मासिक भाडा | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ईंधन सहित | ईंधन रहित | ईंधन सहित | ईंधन रहित | |
| | | | | | | | | | | |

आपूरित ईंधन की गणना परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1769 दिनांक 19-03-2014 के आलोक में निर्धारित औसत ईंधन खपत प्रतिकिलोमीटर के आधार पर की जायेगी। ईंधन की आपूर्त्ति एवं चालक का पारिश्रमिक का भुगतान वाहन मालिक द्वारा की जायेगी।

8- वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधी पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर मालिक/एजेन्सी का दायित्व होगा की वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस माह का भाड़े का भुगतान नहीं किया जायेगा और जमानत की राशि जब्त करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

9- भाड़े पर दिये जाने वाले वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए। जिसका फिटनेश प्रमाण–पत्र एम0भी0आई0 बक्सर से निर्गत होना चाहिए। निम्न प्रकार के वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(i) अद्यतन मॉडल (ii) संबंधित वाहन का उच्च मॉडल (iii) पुराना वाहन / खराब स्थिति के वाहन पर विचार नही किया जायेगा।

10- स्वीकृत निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर सभी वाहनों का आवश्यक कागजात प्रस्तुत करना होगा।

11- उपर्युक्त शर्तो के अनुरूप मासिक न्यूनतम दर के निविदादाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर कभी भी एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।

12- वाहन मालिक को विपत्र एवं लॉग बुक संबंधित पदाधिकारी से सत्यापनोपरांत प्रत्येक माह ससमय 7वीं तारीख के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। लॉग बुक का संधारण नियमित दैनिक आधार पर करना होगा एवं परिचालन मीटर रीडिंग अद्यतन रखना होगा।

13- इच्छुक वाहन मालिक / फर्म दिनांक 29.04.2016 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक जिला नजारत शाखा, बक्सर में मोहरबन्द लिफाफे में निविदा समर्पित कर सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 29.04.2016 को ही 01:00 बजे अपराह्न जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें वाहन मालिक स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहना आवश्यक है।

14- निविदा को बिना कारण बतायें किसी भी समय अस्वीकृत करने अथवा संशोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

15- अधिकतम 60 किलोमीटर तक के दैनिक परिचालन के लिए कोई भी राशि वाहन मालिक को देय नहीं होगी।

16- 60 किलोमीटर से अधिक वाहन का परिचालन होने की स्थिति में 3.00 (तीन रुपये) प्रति किलोमीटर की दर से अलग से जिला प्रशासन द्वारा भुगतान किया जायेगा।

17- वाहन का निबंधन बिहार राज्य के अंतर्गत किसी जिला का होना अनिवार्य होगा।

18- निविदा के साथ वाहन का निबंधन एवं वाहन के बीमा का पेपर की प्रति जमा करना होगा। साथ ही चालक का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं एक शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि पूर्व में वाहन कभी दुर्घटनाग्रस्त नही हुई हो एवं किसी प्रकार की प्राथमिकी उक्त वाहन पर दर्ज नही है।

ह0/-
रमण कुमार, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 08-0321...../नजा0, बक्सर, दिनांक 12.4. ...........2016

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को निविदा की 05 (पाँच) हॉर्ड प्रतियाँ एवं सॉफ्ट प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

12.4.16

रमण कुमार, भा0प्र0से0